<u>परिपत्र सं. 128/47/2019-जीएसटी</u>

फा. सं. जीएसटी/आईएनवी/डीआईएन/01/2019-20
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
(जीएसटी-अन्वेषण प्रकोष्ठ)

10 वां माला, टावर-2,
जीवन भारती बिल्डिंग
कनाट सर्कस, नई दिल्ली
दिनांक 23 दिसम्बर,2019

सेवा में:

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक/सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त/प्रधान अतिरिक्त महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक/संयुक्त सचिव/आयुक्त, सीबीआईसी।

महोदया/ श्रीमान,

विषय: करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी संचार पर दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) का सृजन और उद्धरण

<u>बोर्ड के परिपत्र संख्या 122/41/2019-जीएसटी दिनांक 05 नवंबर, 2019</u> की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो निर्दिष्ट दस्तावेजों पर दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) के सृजन और उद्धरण के निर्णय को लागू करने के लिए जारी किया गया था। यह व्यापार / करदाताओं / अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ संचार में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दृष्टि से किया गया था।

2. उपरोक्त परिपत्र के माध्यम से, बोर्ड ने निर्दिष्ट किया था कि डीआईएन निगरानी प्रणाली का उपयोग तलाशी प्राधिकारों, समन, गिरफ्तारी ज्ञापन, निरीक्षण नोटिस आदि पर डीआईएन को उद्धृत करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, इन दस्तावेजों/ संचारों के प्राप्तकर्ता को cbic.gov.in पर ऑनलाइन डीआईएन की पुष्टि करके उनकी वास्तविकता को आसानी से सत्यापित करने में सक्षम बनाने के लिए एक सुविधा प्रदान की गई थी। उसी की निरंतरता में, बोर्ड ने अब निर्देश दिया है कि देश भर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के किसी भी कार्यालय द्वारा करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेजे जाने वाले सभी संचार (ई-मेल सहित) में दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) का इलेक्ट्रॉनिक सृजन और उद्धरण किया जाएगा। । इस पैरा में निहित निर्देश 24.12.2019 से प्रभावी होंगे।

3. तदनुसार, डीडीएम के ऑनलाइन पोर्टल "cbicddm.gov.in" पर डीआईएन के इलेक्ट्रॉनिक सृजन के लिए पहले से उपलब्ध ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म/सुविधा को सक्षम करने के लिए उपयुक्त रूप से बढ़ाया गया है ताकि करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेजे गए सभी प्रकार के संचार (ई-मेल सहित) में डीआईएन का इलेक्ट्रॉनिक सृजन हो सके । एक ओर डीआईएन के इलेक्ट्रॉनिक सृजन से करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेजे गए संचार के उचित ऑडिट ट्रेल को बनाए रखने के लिए एक डिजिटल निर्देशिका बनेगी और दूसरी ओर, यह प्राप्तकर्ता को इस तरह के संचार की वास्तविकता का पता लगाने के लिए एक डिजिटल सुविधा प्रदान करेगी।

4. इस संदर्भ में, बोर्ड ने देश भर में जीएसटी/केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर संरचनाओं द्वारा जारी किए गए तलाशी प्राधिकारों, समन, गिरफ्तारी ज्ञापन, निरीक्षण नोटिस आदि के प्रारूपों का सामंजस्य और मानकीकरण करना भी आवश्यक समझा है। तदनुसार, बोर्ड ने इन दस्तावेजों के प्रारूपों में संशोधनों की जांच करने और सुझाव देने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। अब मानकीकृत दस्तावेज डीडीएम द्वारा अपलोड किए गए हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं। इन मानकीकृत दस्तावेजों को जब डाउनलोड और प्रिंट किया जायेगा, तब इन पर पहले से भरा हुआ डीआईएन होगा। तदनुसार, बोर्ड निर्देश देता है कि सभी क्षेत्र संरचनाए तलाशी, समन, निरीक्षण नोटिस, गिरफ्तारी ज्ञापन और अंतरिम रिलीज आदेश (प्रारूप संलग्न हैं) के लिए मानकीकृत प्राधिकरण का उपयोग करेंगे। इन प्रारूपों का उपयोग सभी संरचनाओं द्वारा 01.01.2020 से किया जाएगा।

5. बोर्ड एक बार फिर निर्देश देता है कि कोई भी निर्दिष्ट संचार जिसपर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न डीआईएन शामिल नहीं है और परिपत्र संख्या 122/41/2019-जीएसटी दिनांक 05.11.2019 के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अपवादों से आच्छादित नहीं है, को अमान्य माना जाएगा और कभी जारी नहीं किया गया हो ऐसा माना जाएगा।

6. मुख्य आयुक्त (आयुक्तों)/महानिदेशक (महानिदेशकों) से अनुरोध है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के लिए अपने प्रभार के अंतर्गत सभी संरचनाओं में परिचालन करें। इन निर्देशों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हो, को तुरंत बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

ह/-

(नीरज प्रसाद)
आयुक्त [जीएसटी - अन्वेषण], सीबीआईसी
दूरभाषसं. 011-21400623
ईमेल आईडी: gstinv-cbic@gov.in

सेवा में:

1. अध्यक्ष, सीबीआईसी और सभी सदस्य, सीबीआईसी
2. महानिदेशक करदाता सेवाएं, सीबीआईसी
3. प्रधान महानिदेशक (सिस्टम और डेटा प्रबंधन)
4. वेबमास्टर, सीबीआईसी, सीबीआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये।